

5.12.17

पत्रावली पेश हुनी | पक्षकारा उपस्थित नहीं।
 अध्यायक भी कंसल्टेशन दिया गया है
 (विहीन) का इन्फोर्मेशन दिया गया। पत्रावली
 में अतिवर्तिता के लक्षणों का उल्लेख है।
 यह प्रस्ताव वर्ष 2015 का इन्फोर्मेशन वरी
 है। लक्ष्य अतिवर्तिता के लिए RPF AD को
 तलबना के लिए वरिष्ठ अधिकारी को तलबना
 के दिनांक 17/11/18 के लिए है।

7.1.18

पत्रावली पेश हुनी | पक्षकारा उपस्थित नहीं।
 अध्यायक भी उपस्थित। पत्रावली का इन्फोर्मेशन
 दिया गया। पत्रावली प्रारम्भ से ही तलबनी में है। दिनांक 29.3.18
 अध्यायक ने वारीगण को समझलाना पेश करने हेतु कार्य
 किया परन्तु वारीगण ने 5.10.16, 16.11.16, 26.12.16, 8.3.17,
 3.4.17 तक एवं 10.10.17 को जरिये RPF AD तलबना
 पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद वारीगण
 ने अध्यायक की पालना न करते हुये लगभग दो वर्षों का समय
 जाया किया गया है। अतः अध्यायक अन्तर्गत अध्यायक 9 निष्प
 5 निष्प. वाड को खारिज योग्य भावना है। अतः वाड
 खारिज किया जा रहा है। पत्रावली कंसल्टेशन ले नम्बर के
 की जाकर वाड को खारिज है। पुनर्पत्रावली 17/11/18



17/11/18
 अध्यायक (निष्प.)